



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221089  
CG-DL-E-13082020-221089

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2439]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2020/श्रावण 22, 1942

No. 2439]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2020/SRAVANA 22, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

**का.आ. 2745(अ).**— केंद्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 3264(अ) तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, ई-निर्धारण स्कीम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त स्कीम में, -

(1) पैरा 1 के उप-पैरा (1) में, "ई-निर्धारण" शब्द के स्थान पर "चेहरा रहित निर्धारण" शब्द रखे जाएंगे;

(2) पैरा 2 के उप-पैरा (1) में, --

(i) खंड (iii) में "धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् " या धारा 144" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (xxiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xxiii(a))” “नियम” से आयकर नियम 1962 अभिप्रेत है।

(iii) खंड (xxiii) को खंड (xxv) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।

(3) पैरा (4) में, --

(i) पैरा (1) के खंड (v) में “न्यायलयिक, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन” शब्दों के पश्चात् “संपरीक्षा” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा; और

(ii) उप-पैरा (3) में, “उप-पैरे” शब्द को “खंडों” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा और “पैरा” शब्द “उप-पैरा” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(4) पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“5. निर्धारण के लिए प्रक्रिया – (1) इस स्कीम के अधीन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र धारा 143 की उप-धारा (2) के अधीन निर्धारिती पर एक सूचना तामील करेगा जिसमें निर्धारण के लिए उसके मामले के चयन के लिए मुद्दे विनिर्दिष्ट होंगे;

(ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र के पास अपना उत्तर फाइल करेगा;

(iii) जहां निर्धारिती ने –

(क) धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन जारी सूचना के उत्तर में अपनी आय की विवरणी फाइल प्रस्तुत कर दी है और धारा 143 की उप-धारा (2) के अधीन सूचना, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी कर दी गई है; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के उत्तर में अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या

(ग) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी कर दी गई है;

वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती को सूचित करेगा कि उसके मामले में निर्धारण इस स्कीम के अधीन पूरा किया जाएगा ।

(iv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को इस स्कीम के अधीन ई-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चयन किए गए मामले को समनुदेशित करेगा;

(v) जहां कोई मामला निर्धारण यूनिट को समनुदेशित किया जाता है वहां वह राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र से निम्नलिखित के लिए अनुरोध कर सकेगा –

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करना जो वह विनिर्दिष्ट करे;

(ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच कराना या सत्यापन कराना; और

- (ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करना;
- (vi) जहां निर्धारिती से या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुरोध निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारण यूनिट द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारिती को या किसी अन्य व्यक्ति को समुचित सूचना या मांग जारी करेगा;
- (vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना के प्रति अपना उत्तर उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो इस संबंध में आवेदन के आधार पर बढ़ाया जा सके, राष्ट्रीय ई-निर्धारण के पास फाइल करेगा;
- (viii) जहां सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करवाने के लिए कोई अनुरोध निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है वहां अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में कोई राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा सत्यापन यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा;
- (ix) जहां तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता की मांग करने के लिए अनुरोध निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में राष्ट्रीय ई-निर्धारण यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा;
- (x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, संबंध निर्धारण यूनिट से खंड (viii) या खंड (ix) में निर्दिष्ट अनुरोध पर आधारित सत्यापन यूनिट या तकनीकी यूनिट से प्राप्त की गई रिपोर्ट को भेजेगा;
- (xi) जहां निर्धारिती राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, धारा 142 के खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना या उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना अथवा धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किए गए निदेश का पालन करने में असमर्थ रहता है वहां सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को और समय पर हेतुक दर्शित करने के लिए उसे एक अवसर देते हुए धारा 144 के अधीन ऐसा निर्धारिती को एक सूचना तामील करेगा कि उसे मामले में निर्धारण उसकी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार क्यों न पूरा किया जाए;
- (xii) निर्धारिती खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय, जो इस निमित्त आवेदन के आधार पर विस्तारित की जा सके, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को जवाब फाइल करेगा;
- (xiii) जहां निर्धारिती सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय के भीतर, यदि कोई हो, खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना का उत्तर फाइल करने में असफल रहता है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, निर्धारण यूनिट के ऐसी असफलता की सूचना देगा;
- (xiv) निर्धारण यूनिट, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, या ऐसी दशा में, जहां खंड (xiii) में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से उसकी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार लिखित रूप में एक प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, तो निर्धारिती की वापस की गई आय को स्वीकार करते हुए या निर्धारिती की वापस की गई आय को उपांतरित करते हुए, प्रारूप निर्धारण आदेश करेगी और ऐसे आदेश की प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को प्रेषित करेगी;
- (xv) निर्धारण यूनिट, प्रारूप निर्धारण आदेश करते समय, उसमें आरंभ की जाने वाली शास्ति कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हों, उपलब्ध कराएगी;

(xvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंध कारबार नीति के अनुसार, प्रारूप निर्धारण आदेश की समीक्षा करेगी जिसमें स्वचालित समीक्षा साधन के माध्यम से की गई समीक्षा भी सम्मिलित है जिसके परिणामस्वरूप यह निम्नलिखित का विनिश्चय कर सकेगी,-

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देना और निर्धारिती को, ऐसे निर्धारण के आधार पर, निर्धारिती को संदेय राशि या उसको शोधय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, निर्धारिती को मांग सूचना के साथ, शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति तामील करना ; या

(ख) निर्धारिती को अवसर प्रदान करना, यदि उपांतरण उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि निर्धारण, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए, सूचना तामील करके प्रस्तावित किया जाता है ; या

(ग) ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए, स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में पुनर्विलोकन यूनिट को प्रारूप निर्धारण आदेश समनुदेशित करना ।

(xvii) पुनर्विलोकन यूनिट, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी जिसके परिणामस्वरूप वह,-

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश से सहमत होने और ऐसी सहमति के बारे में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को सूचित करने का विनिश्चय कर सकेगी ; या

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में ऐसा उपांतरण, जो वह ठीक समझे, का सुझाव देने का और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपने सुझाव भेजने का विनिश्चय कर सकेगी ;

(xviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट की सहमति प्राप्त हो जाने पर, पैरा (xvi) के, यथास्थिति, उपपैरा (क) या उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा;

(xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट से उपांतरणों के लिए, सुझाव प्राप्त हो जाने पर, प्रारूप निर्धारण आदेश स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से एक अन्य निर्धारण यूनिट को समनुदेशित करेगा;

(xx) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाव दिए गए उपांतरण पर विचार करने के पश्चात्, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश भेजेगा;

(xxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश के प्राप्त हो जाने पर, पैरा (xvi) के, यथास्थिति, उपपैरा (क) या उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा;

(xxii) उस दशा में, जहां पैरा (xvi) के उपपैरा (ख) के अधीन कारण बताओ सूचना, उस पर तामील कर दी गई है, वहां निर्धारिती, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को और समय पर या उससे पहले या विस्तारित समय के भीतर यदि कोई हो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा;

(xxiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,-

(क) उस दशा में, जहां कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, वहां पैरा (xvi) के उपपैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देगा; या

(ख) किसी अन्य मामले में, निर्धारिती से प्राप्त उत्तर को निर्धारण यूनिट को भेजेगा;

(xxiv) निर्धारण यूनिट, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगा और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xxv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर,-

(क) निर्धारिती के हित में प्रारूप निर्धारण आदेश को निर्दिष्ट करते हुए किसी प्रतिकूल उपांतरण का प्रस्ताव नहीं किया गया है, खंड (xvi) के उपखंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा ; या

(ख) यदि निर्धारिती के हित में प्रारूप निर्धारण आदेश को निर्दिष्ट करते हुए किसी प्रतिकूल उपांतरण का प्रस्ताव किया गया है, निर्धारिती को खंड (xvi) के उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारिती को अवसर प्रदान किया जाएगा ; या

(ग) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से खंड (xxii), खंड (xxiii) और खंड (xxiv) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार करेगा ;

(xxvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र निर्धारण पूरा होने के पश्चात् मामले के सभी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए अंतरित करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो;

(2) उप पैरा-(1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भार साधन, यदि आवश्यक हो, निर्धारण के किसी भी स्तर पर, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामला अन्तरित कर सकता है।“

(5) पैरा 6 में, उपपैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् -

“(5) राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र शास्ति के उक्त प्रारूप आदेश के अनुसार उद्घोषित करेगा तथा, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को मांग नोटिस के साथ उसकी एक प्रति तामील करेगा और तत्पश्चात् अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को शास्ति कार्यवाहियों के इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतरित करेगा।”

(6) पैरा 7 में, शब्दों के पश्चात्, “आदेश या शास्ति आदेश” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(7) पैरा 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :-

**“8. अनन्ये रूप से इलैक्ट्रॉनिक ढंग से संसूचना का विनिमय -**

(1) इस योजना के उद्देश्यों के लिए:-

(क) राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, या अन्य व्यक्ति के बीच सभी संसूचनाएँ अनन्ये रूप से इलैक्ट्रॉनिक ढंग से ही विनिमय की जाएंगी ; और राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र, क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र तथा विभिन्न यूनिटों के बीच सभी आंतरिक संसूचनाएँ अनन्ये रूप से इलैक्ट्रॉनिक ढंग से ही विनिमय की जाएंगी ;

(2) उपपैरा (1) के उपबंध, पैरा 12 के खंड (via) में निर्दिष्ट पूछताछ या सत्यापन हेतु लागू नहीं होंगे।

**9. इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन**

इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा:-

- (i) राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र द्वारा इसके डिजिटल हस्ताक्षर करके, और
- (ii) निर्धारिती या अन्य व्यक्ति द्वारा इसके डिजिटल हस्ताक्षर करके, यदि उससे नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अपनी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो और किसी अन्य मामले में उसके डिजिटल हस्ताक्षरकरके या करक या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के अधीन ;

स्पष्टीकरण – इस पैरा के प्रयोजन के लिए, “इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट” का वही अर्थ होगा जो उसका नियमों के नियम 12 में है।”

(8) पैरा (11) में, -

- (i) उपपैरा (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखे जाएंगे, अर्थात :-

“(2) उस मामले में जहां प्रारूप मूल्यांकन आदेश में संशोधन प्रस्तावित है और निर्धारिती को नोटिस तामील करके कारण दर्शित करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है कि मूल्यांकन ऐसे प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार पूर्ण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तो, यथास्थिति, निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निवेदन कर सकेगा जिससे वह इस स्कीम के अधीन किसी इकाई में आय-कर प्राधिकारी के समक्ष अपना मौखिक उत्तर दे सके या अपना मामला प्रस्तुत कर सके ;

(3) यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र का प्रभारी प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक अथवा क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र का प्रभारी मुख्य आयुक्त या महानिदेशक जिसके अधीन संबंधित इकाई गठित की गई हो, अनुमोदन कर सकता है।

(2) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आवेदन को अनुमोदित कर सकेगा यदि उसकी यह राय है कि आवेदन पैरा 12 के खंड (vib) निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आता है;

(3क) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र के भार साधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक अथवा क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र के भार साधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आवेदन अनुमोदित कर दिया जाता है, तो ऐसी सुनवाई बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अनन्य रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी दूरसंचार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी है जो वीडियो टेलीफोनी संभरक हो;

(3खं) पैरा 8 के उपपैरा (2) के अधीन रहते हुए, (अधिनियम की धारा 133 क के अधीन सर्वेक्षण के दौरान अभिलेखबद्ध कथन से भिन्न) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के कथन की कोई परीक्षा या अभिलेखन इस स्कीम के अधीन किसी यूनिट में बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार आय-कर प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी दूरसंचार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी है, जो वीडियो टेलीफोनी संभरक हो.”

(9) पैरा 12 में, -

- (i) उपपैरा (1) की संख्या का लोप किया जाएगा; और

- (ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा में :-

अ. “राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र का भार साधक” शब्दों के पूर्व “बोर्ड के अनुमोदन से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; और

आ. खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

(via) वे परिस्थितियां जिनमें पैरा 8 के उप पैरा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे ;

(vib) वे परिस्थितियां जिनमें पैरा 11 के उपपैरा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई अनुमोदित की जाएगी;”

(10) हिन्दी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं.-60/2020/फा.सं.370149/154/2019-टी.पी.एल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 3264(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2020

**S.O. 2745 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 143 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments in the E-assessment Scheme, 2019 published *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O 3264 (E) dated the 12<sup>th</sup> September, 2019, namely:—

1. In the said Scheme, —

(1) in sub-paragraph (1) of paragraph 1, for the word “E-assessment”, the words “Faceless Assessment” shall be substituted;

(2) in sub-paragraph (1) of paragraph 2, —

(i) in clause (iii), after the words, brackets, and figures “under sub-section (3) of section 143”, the words and figures “or section 144” shall be inserted;

(ii) after clause (xxiii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(xxiiiia) “Rules” means the Income-tax Rules, 1962;”

(3) in paragraph 4, —

(i) in clause (v) of sub-paragraph (1), after the words “forensic, information technology, valuation,”, the word “audit,” shall be inserted; and

(ii) in sub-paragraph (3), the word “sub-paragraphs” shall be substituted by the word “clauses” and the word “paragraph” shall be substituted by the word “sub-paragraph”.

(4) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely,—

**“5. Procedure for assessment.**— (1) The assessment under this Scheme shall be made as per the following procedure, namely:—

(i) the National e-Assessment Centre shall serve a notice on the assessee under sub-section (2) of section 143, specifying the issues for selection of his case for assessment;

(ii) the assessee may, within fifteen days from the date of receipt of notice referred to in clause (i), file his response to the National e-assessment Centre;

(iii) where the assessee —

(a) has furnished his return of income under section 139 or in response to a notice issued under sub-section (1) of 142 or sub-section (1) of section 148; and a notice under sub-section (2) of section 143

has been issued by the Assessing Officer or the prescribed income-tax authority, as the case may be; or

(b) has not furnished his return of income in response to a notice issued under sub-section (1) of section 142 by the Assessing Officer; or

(c) has not furnished his return of income under sub-section (1) of section 148 and a notice under sub-section (1) of section 142 has been issued by the Assessing Officer;

the National e-Assessment Centre shall intimate the assessee that assessment in his case shall be completed under this Scheme;

- (iv) the National e-assessment Centre shall assign the case selected for the purposes of e-assessment under this Scheme to a specific assessment unit in any one Regional e-assessment Centre through an automated allocation system;
- (v) where a case is assigned to the assessment unit, it may make a request to the National e-assessment Centre for
  - (a) obtaining such further information, documents or evidence from the assessee or any other person, as it may specify;
  - (b) conducting of certain enquiry or verification by verification unit; and
  - (c) seeking technical assistance from the technical unit;
- (vi) where a request for obtaining further information, documents or evidence from the assessee or any other person has been made by the assessment unit, the National e-assessment Centre shall issue appropriate notice or requisition to the assessee or any other person for obtaining the information, documents or evidence requisitioned by the assessment unit;
- (vii) the assessee or any other person, as the case may be, shall file his response to the notice referred to in clause (vi), within the time specified therein or such time as may be extended on the basis of an application in this regard, to the National e-Assessment Centre;
- (viii) where a request for conducting of certain enquiry or verification by the verification unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-assessment Centre to a verification unit in any one Regional e-assessment Centres through an automated allocation system;
- (ix) where a request for seeking technical assistance from the technical unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-assessment Centre to a technical unit in any one Regional e-assessment Centres through an automated allocation system;
- (x) the National e-assessment Centre shall send the report received from the verification unit or the technical unit, based on the request referred to in clause (viii) or (ix) to the concerned assessment unit;
- (xi) where the assessee fails to comply with the notice referred to in clause (vi) or notice issued under sub-section (1) of section 142 or with a direction issued under sub-section (2A) of section 142, the National e-Assessment Centre shall serve upon such assessee a notice under section 144 giving him an opportunity to show-cause, on a date and time to be specified in the notice, why the assessment in his case should not be completed to the best of its judgment;
- (xii) the assessee shall, within the time specified in the notice referred to in clause (xi) or such time as may be extended on the basis of an application in this regard, file his response to the National e-Assessment Centre;
- (xiii) where the assessee fails to file response to the notice referred to in clause (xi) within the time specified in the notice or within the extended time, if any, the National e-Assessment Centre shall intimate such failure to the assessment unit;
- (xiv) the assessment unit shall, after taking into account all the relevant material available on the record make in writing, a draft assessment order or, in a case where intimation referred to in clause (xiii) is received from the National e-Assessment Centre, make in writing, a draft assessment order to the best of its judgment, either accepting the income, or sum payable by, or sum refundable to, the assessee as per his return or modifying the said income or sum, and send a copy of such order to the National e-assessment Centre;
- (xv) the assessment unit shall, while making draft assessment order, provide details of the penalty proceedings to be initiated therein, if any;



- (xvi) the National e-assessment Centre shall examine the draft assessment order in accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of an automated examination tool, whereupon it may decide to, —
- (a) finalise the assessment as per the draft assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment; or
- (b) provide an opportunity to the assessee, in case a modification is proposed, by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the draft assessment order; or
- (c) assign the draft assessment order to a review unit in any one Regional e-assessment Centre, through an automated allocation system, for conducting review of such order;
- (xvii) the review unit shall conduct review of the draft assessment order, referred to it by the National e-assessment Centre whereupon it may decide to, —
- (a) concur with the draft assessment order and intimate the National e-assessment Centre about such concurrence; or
- (b) suggest such modifications, as it may deem fit, to the draft assessment order and send its suggestions to the National e-assessment Centre;
- (xviii) the National e-assessment Centre shall, upon receiving concurrence of the review unit, follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the case may be;
- (xix) the National e-assessment Centre shall, upon receiving suggestions for modifications from the review unit, assign the case to an assessment unit, other than the assessment unit which has made the draft assessment order, through an automated allocation system;
- (xx) the assessment unit shall, after considering the modifications suggested by the review unit, send the final draft assessment order to the National e-assessment Centre;
- (xxi) The National e-assessment Centre shall, upon receiving final draft assessment order, follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the case may be;
- (xxii) the assessee may, in a case where show-cause notice under sub-clause (b) of clause (xvi) has been served upon him, furnish his response to the National e-assessment Centre on or before the date and time specified in the notice or within the extended time, if any;
- (xxiii) the National e-assessment Centre shall,-
- (a) in a case where no response to the show-cause notice is received, finalise the assessment as per the draft assessment order, as per the procedure laid down in sub-clause (a) of clause (xvi); or
- (b) in any other case, send the response received from the assessee to the assessment unit;
- (xxiv) the assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the assessee, make a revised draft assessment order and send it to the National e-assessment Centre;
- (xxv) the National e-assessment Centre shall, upon receiving the revised draft assessment order,—
- (a) in case no modification prejudicial to the interest of the assessee is proposed with reference to the draft assessment order, finalise the assessment as per the procedure laid down in sub-clause (a) of clause (xvi); or
- (b) in case a modification prejudicial to the interest of the assessee is proposed with reference to the draft assessment order, provide an opportunity to the assessee, by serving a notice as per the procedure laid down in sub-clause (b) of clause (xvi);
- (c) the response furnished by the assessee shall be dealt with as per the procedure laid down in clauses (xxii), (xxiii), and (xxiv);
- (xxvi) The National e-assessment Centre shall, after completion of assessment, transfer all the electronic records of the case to the Assessing Officer having jurisdiction over the said case for such action as may be required under the Act;”

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, in charge of National e-assessment Centre, may at any stage of the assessment, if

considered necessary, transfer the case to the Assessing Officer having jurisdiction over such case, with the prior approval of the Board.”

- (5) in paragraph 6, for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(5) The National e-assessment Centre shall levy the penalty as per the said draft order of penalty and serve a copy of the same along with demand notice on the assessee or any other person, as the case may be, and thereafter transfer electronic records of the penalty proceedings to the Assessing Officer having jurisdiction over the said case for such action as may be required under the Act.”

- (6) in paragraph 7, after the words “appeal against an assessment”, the words “order, or penalty order” shall be inserted.

- (7) for paragraphs 8 and 9, following paragraphs shall be substituted, namely: —

**“8. Exchange of communication exclusively by electronic mode.—** (1) For the purposes of this Scheme,-

(a) all communications between the National e-assessment Centre and the assessee, or his authorised representative, or any other person shall be exchanged exclusively by electronic mode; and

(b) all internal communications between the National e-assessment Centre, Regional e-assessment Centres and various units shall be exchanged exclusively by electronic mode;

(2) The provisions of sub-paragraph (1) shall not apply to the enquiry or verification conducted by the verification unit in the circumstances referred to in clause (via) of Paragraph 12.

**9. Authentication of electronic record.** — For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by —

(i) the National e-Assessment Centre by affixing its digital signature; and

(ii) the assessee or any other person, by affixing his digital signature if he is required under the Rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case by affixing his digital signature or under electronic verification code;

Explanation. – For the purpose of this paragraph, “electronic verification code” shall have the same meaning as referred to in rule 12 of the Rules.”

- (8) in paragraph (11), —

(i) for sub-paragraphs (2) and (3), following sub-paragraphs shall be substituted, namely: —

“(2) In a case where a modification is proposed in the draft assessment order, and an opportunity is provided to the assessee by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the such draft assessment order, the assessee or his authorised representative, as the case may be, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the income-tax authority in any unit under this Scheme;

(3) The Chief Commissioner or the Director General, in charge of the Regional e-assessment Centre, under which the concerned unit is set up, may approve the request for personal hearing referred to in sub-paragraph (2) if he is of the opinion that the request is covered by the circumstances referred to in clause (vib) of Paragraph 12;

(3A) Where the request for personal hearing has been approved by the Chief Commissioner or the Director General, in charge of the Regional e-assessment Centre, such hearing shall be conducted exclusively through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony, in accordance with the procedure laid down by the Board;

(3B) Subject to the sub-paragraph (2) of paragraph (8), any examination or recording of the statement of the assessee or any other person (other than statement recorded in the course of survey under section 133A of the Act) shall be conducted by an income-tax authority in any unit under this Scheme, exclusively through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony in accordance with the procedure laid down by the Board.”

- (9) in paragraph (12), —

(i) numbering of sub-paragraph (1) shall be omitted; and

(ii) in the paragraph so as renumbered, —

A. after the words “in charge of the National e-assessment Centre shall”, the words “, with the approval of the Board,” shall be inserted; and

B. after clause (vi), following clauses shall be inserted, namely: —

“(via) circumstances in which provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 8 shall not apply;

(vib) circumstances in which personal hearing referred to in sub-paragraph (3) of paragraph (11) shall be approved;”

(10) for the word “assesse”, wherever they occur the word “assessee” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 60 / 2020/F.No. 370149/154/2019-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.

**Note:** The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O.3264(E), dated the 12th September, 2019.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

#### आय-कर

**का.आ. 2746 (अ).**—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का.आ. 3265(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में,--

(1) प्रारंभिक भाग में “ई-निर्धारण” शब्द के स्थान पर “चेहरा विहीन निर्धारण” शब्द रखे जाएंगे।

(2) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘1. इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (7क), धारा 92क, धारा 120, धारा 124, धारा 127, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 133क, धारा 133ग, धारा 134, अध्याय 14 और अध्याय 21 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उक्त स्कीम के अनुसरण में किए गए निर्धारण को लागू होंगे, अर्थात् :--

“क. (1) निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती पर धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण के लिए उसके चयन के मुद्दों को विनिर्दिष्ट करते हुए, सूचना की तामील करेगा ;

(ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल करेगा ;

(iii) जहां निर्धारिती ने--

(क) धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में आय की विवरणी प्रस्तुत की है ; और यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है ; या

- (ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में आय-कर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ; या
- (ग) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है ;  
राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती को संसूचित करेगा कि इस योजना के तहत उसकी दशा में निर्धारण पूरा किया जाएगा ;
- (iv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र इस योजना के तहत निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, चयनित मामले को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को समनुदेशित करेगा ;
- (v) जहां मामला, निर्धारण यूनिट को समनुदेशित कर दिया जाता है, वहां निर्धारण यूनिट निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को अनुरोध कर सकेगा,—
- (क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करना, जो यह विनिर्दिष्ट करे ;
- (ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापना करना ; और
- (ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करना ;
- (vi) जहां निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने का अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, निर्धारण यूनिट द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को समुचित सूचनाप या अध्यपेक्षा जारी करेगा ;
- (vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना का प्रत्युत्तर उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या इस संबंध में किसी आवेदन के आधार पर विस्तारित समय के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा ;
- (viii) जहां सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन कराने के लिए अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र की सत्यापन यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;
- (ix) जहां तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा तकनीकी यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;
- (x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र सत्यापना यूनिट या तकनीकी यूनिट से खंड (viii) या खंड (ix) में निर्दिष्ट अनुरोध के आधार पर, प्राप्त रिपोर्ट को संबंधित निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;
- (xi) जहां निर्धारिती खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र ऐसे निर्धारिती पर धारा 144 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हेतुक उपदर्शित करने का अवसर देते हुए सूचना की तामील करेगा कि उसकी दशा में क्यों न निर्धारण उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए ;

- (xii) निर्धारिती खंड (xi) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या इस संबंध में किसी आवेदन के आधार पर विस्तारित समय के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को इस संबंध में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ;
- (xiii) जहां निर्धारिती खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना का विनिर्दिष्ट समय या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र ऐसी असफलता की निर्धारण यूनिट को संसूचना देगा ;
- (xiv) निर्धारण यूनिट अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री को गणना में लेते हुए एक लिखित प्रारूप निर्धारण आदेश देगी या ऐसी दशा में जहां खंड (xiii) में निर्दिष्ट संसूचना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र से प्राप्त होती है, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार या तो आय या उसके द्वारा संदेय राशि या उसको प्रतिदेय राशि को विवरणी के अनुसार स्वीकार करते हुए या ऐसी आय या राशि को उपांतरित करते हुए एक लिखित प्रारूप आदेश देगी और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;
- (xv) निर्धारण यूनिट प्रारूप निर्धारण आदेश करते हुए शास्ति कार्यवाहियों, जो उसके द्वारा आरंभ किए जाएंगे, यदि कोई हों, के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी ;
- (xvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश की जांच करेगा, जिसके अंतर्गत एक स्वचालित जांच टूल सम्मिलित है, तदनुपरांत वह,—
- (क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देने का विनिश्चय करेगा और ऐसे आदेश तथा सूचना की एक प्रति की शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए मांग सूचना सहित, जिसमें संदेय राशि, या निर्धारिती को ऐसे निर्धारण के आधार पर शोध्य प्रतिदेय किसी रकम का प्रतिदाय करने के लिए सूचना देगा ; या
- (ख) किसी उपांतरण का प्रस्ताव करने की दशा में निर्धारिती को उससे यह हेतुक उपदर्शित करने के लिए कि क्यों न प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को पूरा नहीं किया जाना चाहिए, के लिए एक अवसर प्रदान करेगा ; या
- (ग) किसी एक प्रादेशिक ई-निर्धारण केंद्र में किसी पुनर्विलोकन यूनिट को प्रारूप निर्धारण आदेश को किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए समनुदेशित करेगा ;
- (xvii) पुनर्विलोकन यूनिट उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन संचालित करेगी तदनुपरांत वह,—
- (क) प्रारूप निर्धारण आदेश से सहमत होने का विनिश्चय करेगी और ऐसी सहमति की राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को संसूचित करेगी ; या
- (ख) प्रारूप निर्धारण आदेश पर ऐसे उपांतरण का सुझाव देगी, जो वह उचित समझे और सुझावों को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र भेजने का विनिश्चय करेगी ;
- (xviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र पुनर्विलोकन यूनिट की सहमति प्राप्त होने पर, यथास्थिति, खंड (xvi) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;
- (xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र पुनर्विलोकन यूनिट से उपांतरणों का सुझाव प्राप्त होने पर मामले को उस निर्धारण यूनिट, जिसने प्रारूप निर्धारण आदेश किया था, से भिन्न किसी अन्य निर्धारण यूनिट को किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से समनुदेशित करेगा ;

- (xx) निर्धारण यूनिट पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाए गए उपांतरणों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;
- (xxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर खंड (xvi) के, यथास्थिति, उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;
- (xxii) निर्धारिती उस दशा में, जहां हेतुक उपदर्शित करने की सूचना की उस पर खंड (xvi) के उपखंड (ख) के अधीन तामील की गई है, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ;
- (xxiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र,—
- (क) उस दशा में, जहां हेतुक उपदर्शित करने की सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, खंड (xvi) के उपखंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देगा ; या
- (ख) किसी अन्य दशा में, निर्धारिती से प्राप्त प्रत्युत्तर को निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;
- (xxiv) निर्धारण यूनिट , निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को गणना में लेते हुए पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगी और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;
- (xxv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर,—
- (क) निर्धारिती के हित में प्रारूप निर्धारण आदेश को निर्दिष्ट करते हुए किसी प्रतिकूल उपांतरण का प्रस्ताव नहीं किया गया है, खंड (xvi) के उपखंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा ; या
- (ख) यदि निर्धारिती के हित में प्रारूप निर्धारण आदेश को निर्दिष्ट करते हुए किसी प्रतिकूल उपांतरण का प्रस्ताव किया गया है, निर्धारिती को खंड (xvi) के उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारिती को अवसर प्रदान किया जाएगा ; या
- (ग) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से खंड (xxii), खंड (xxiii) और खंड (xxiv) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार व्यौहार करेगा ;
- (xxvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारण पूरा होने के पश्चात् मामले के सभी इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए अंतरित करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो ;
- (2) उप पैरा-(1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक राष्ट्रीय ई-का भार साधननिर्धारण केन्द्र, यदि आवश्यक हो, निर्धारण के किसी भी स्तर पर, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामला अन्तरित कर सकता है ।
- (ख) (1) किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में या स्कीम के अधीन सृजित किसी यूनिट में स्कीम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आय-कर प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत होना अपेक्षित नहीं होगा ।
- (2) किसी मामले में जहां प्रारूप निर्धारण आदेश में उपांतरण प्रस्तावित है और निर्धारिती को, उस पर सूचना की तामील करके एक अवसर प्रदान किया जाता है कि वह कारण दर्शित करे कि ऐसे प्रारूप आदेश

के अनुसार निर्धारण क्यों पूर्ण नहीं किया जाना चाहिए। निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसा भी मामला हो, इस योजना के अधीन किसी इकाई में आय-कर प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई जिसमें अपना मौखिक निवेदन के लिए या अपने मामले को प्रस्तुत करने की प्रार्थना कर सकेंगे।

(3) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भार साधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भार साधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक जैसा भी मामला हो, जिसके अधीन संबन्धित ईकाई स्थापित है उप पैरा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रार्थना का अनुमोदन कर सकता है यदि उसकी राय है कि प्रार्थना उक्त योजना के पैरा 12 के खंड (vib) में निर्दिष्ट परिस्थितियों द्वारा आच्छादित है।

(3A) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रार्थना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र के भार साधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र के भार साधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित की गई है जैसा भी मामला हो ऐसी सुनवाई विशिष्ट रूप से विडियो कानफोन सिंग के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी दूर संचार एपलिकेशन्स साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विडियो टेलीफोन को सपोर्ट करता है।

(3B) उक्त योजना के पैरा 8 के उप-पैरा (2) के अधीन, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के कथन की परीक्षा या अभिलेख (अधिनियम की धारा 133क के अधीन पाठ्य सर्वेक्षण अभिलिखित कथन से भिन्न) स्कीम के अधीन किसी यूनिट में आय-कर प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से विडियो कानफ्रेंसिंग में माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी दूर संचार एपलिकेशन्स साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करना है।

(4) बोर्ड, विडियो कानफ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत दूर संचार एपलिकेशन साफ्टवेयर भी है जो ऐसे स्थानों पर हों, जहां आवश्यक हो और विडियो टेलीफोनी अनुकूल हों, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या उपपैरा (2) या उपपैरा (5) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को स्कीम के फायदे से मात्र इस कारण से वंचित न किया जाए कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच विडियो कानफ्रेंसिंग तक नहीं है। “

(3) खंड 2 में -

(i) “किये गये निर्धारण से उद्भूत” शब्दों के पश्चात् “और आरोपित शास्ति” शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे।

(ii) कोट के भीतर “निर्धारण के विरुद्ध अपील” शब्दों के पश्चात् “आदेश या शास्ति आदेश” शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे।

(4) खंड 3 में, कोट के भीतर खंड 3 में, “अधिनियम” से आरंभ होने वाले और “या इलेक्ट्रानिक अधिप्रमाण तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“कोई इलेक्ट्रानिक अभिलेख निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा --:

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा अपने अंकीय हस्ताक्षर करके और;

(ii) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने अंकीय हस्ताक्षर करके यदि वह अंकीय हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय की विवरणी का दिया जाना और उसके अंकीय हस्ताक्षर करने द्वारा या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन अन्य मामले में नियमों के अधीन अपेक्षित है

**स्पष्टीकरण**--इस पैरा के उद्देश्य के लिए “इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड” का वही अर्थ हो जो उसका नियमों के नियम 12 में निर्दिष्ट है”

(5) खंड 4 में उद्धरण के अंदर वह भाग जो 'राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र शास्ती अधिरोपित करेंगा' से शुरू हो रहा है तथा 'जैसे यह मामला हो सके निम्नवत लागू होंगे

“राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केन्द्र शास्ती के उक्त प्रारूप आदेश के अनुसार शास्ती लगाएगा तथा यथास्थिति निर्धारित या किसी अन्य व्यक्ति के मांग नोटिस के साथ इसकी एक प्रति तामील करेगा और तत्पश्चात् अधिनियम के अधीन तथा अपेक्षित उक्त मामले पर अधिकारिकता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को शास्ती कार्यवाहियों में ईलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतरित करेगा।”

(6) खंड 5 में, मद ख के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जायेगा अर्थात् --:

“(ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक स्कीम के अधीन गठित राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, आरईएसी और विभिन्न यूनिटों को आटोमेटिड और मैकेनाइज्ड वातावरण में, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में फार्मेट, मोड, प्रक्रिया और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करना भी है, प्रभावी कार्यकरण के लिए समय-समय पर मानक, प्रक्रियाएं और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करेगा: --

- (i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील;
- (ii) नोटिस या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से कोई सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति;
- (iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;
- (iv) “ई-प्रोसीडिंग” सुविधा के उपबंध जिसके अंतर्गत लॉगलाइन अकाउंट सुविधा, निर्धारण की स्थिति पता लगाना, सुसंगत ब्यौरों को दर्शित करना और डाउनलोड की सुविधान भी है;
- (v) सूचना और उत्तर का मूल्यांकन, अधिप्रमाणन और सत्यापन जिसके अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज भी हैं;
- (vi) केन्द्रीयकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुनःप्राप्ति;
- (via) परिस्थितियां जिसमें पैरा 8 के उपपैरा (1) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।
- (vib) परिस्थितियां जिनमें उक्त योजना के पैरा (11) के उपपैरा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई अनुमोदित होगी।
- (vii) केन्द्र और ईकाइयों के संबंध में साधारण प्रशासन और शिकायत प्रतितोष तंत्र।”

(7) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 61/2020/फा.स. 370149/154/2019-टी.पी.एल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 3265(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।



**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2020

**INCOME-TAX**

**S.O. 2746(E).** —In exercise of the powers conferred by sub-section (3B) of section 143 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O 3265 (E) dated the 12<sup>th</sup> September, 2019, namely: —

1. In the said notification, —

- (1) in the opening portion, for the word “E-assessment”, the words “Faceless Assessment” shall be substituted.
- (2) for clause 1, the following clause shall be substituted, namely:—

“1. The provisions of clause (7A) of section 2, section 92CA, section 120, section 124, section 127, section 129, section 131, section 133, section 133A, section 133C, section 134, Chapter XIV, and Chapter XXI of the Act shall apply to the assessment made in accordance with the said Scheme subject to the following exceptions, modifications and adaptations, namely:

“A. (1) The assessment shall be made as per the following procedure, namely:—

- (i) the National e-Assessment Centre shall serve a notice on the assessee under sub-section (2) of section 143, specifying the issues for selection of his case for assessment;
- (ii) the assessee may, within fifteen days from the date of receipt of notice referred to in clause (i), file his response to the National e-assessment Centre;
- (iii) where the assessee –
  - (a) has furnished his return of income under section 139 or in response to a notice issued under sub-section (1) of 142 or sub-section (1) of section 148; and a notice under sub-section (2) of section 143 has been issued by the Assessing Officer or the prescribed income-tax authority, as the case may be; or
  - (b) has not furnished his return of income in response to a notice issued under sub-section (1) of section 142 by the Assessing Officer; or
  - (c) has not furnished his return of income under sub-section (1) of section 148 and a notice under sub-section (1) of section 142 has been issued by the Assessing Officer;
 the National e-Assessment Centre shall intimate the assessee that assessment in his case shall be completed under the said Scheme
- (iv) the National e-assessment Centre shall assign the case selected for the purposes of e-assessment under the said Scheme to a specific assessment unit in any one Regional e-assessment Centre through an automated allocation system;
- (v) where a case is assigned to the assessment unit, it may make a request to the National e-assessment Centre for \_\_
  - (a) obtaining such further information, documents or evidence from the assessee or any other person, as it may specify;
  - (b) conducting of certain enquiry or verification by verification unit; and
  - (c) seeking technical assistance from the technical unit;
- (vi) where a request for obtaining further information, documents or evidence from the assessee or any other person has been made by the assessment unit, the National e-assessment Centre shall issue appropriate notice or requisition to the assessee or any other person for obtaining the information, documents or evidence requisitioned by the assessment unit;
- (vii) the assessee or any other person, as the case may be, shall file his response to the notice referred to in clause (vi), within the time specified therein or such time as may be extended on the basis of an application in this regard, to the National e-Assessment Centre;
- (viii) where a request for conducting of certain enquiry or verification by the verification unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-assessment Centre to a verification unit in any one Regional e-assessment Centres through an automated allocation system;
- (ix) where a request for seeking technical assistance from the technical unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-assessment Centre to a technical unit in any one Regional e-assessment Centres through an automated allocation system;

- (x) the National e-assessment Centre shall send the report received from the verification unit or the technical unit, based on the request referred to in clause (viii) or (ix) to the concerned assessment unit;
- (xi) where the assessee fails to comply with the notice referred to in clause (vi) or notice issued under sub-section (1) of section 142 or with a direction issued under sub-section (2A) of section 142, the National e-Assessment Centre shall serve upon such assessee a notice under section 144 giving him an opportunity to show-cause, on a date and time to be specified in the notice, why the assessment in his case should not be completed to the best of its judgment;
- (xii) the assessee shall, within the time specified in the notice referred to in clause (xi) or such time as may be extended on the basis of an application in this regard, file his response to the National e-Assessment Centre;
- (xiii) where the assessee fails to file response to the notice referred to in clause (xi) within the time specified in the notice or within the extended time, if any, the National e-Assessment Centre shall intimate such failure to the assessment unit;
- (xiv) the assessment unit shall, after taking into account all the relevant material available on the record make in writing, a draft assessment order or, in a case where intimation referred to in clause (xiii) is received from the National e-Assessment Centre, make in writing, a draft assessment order to the best of its judgment, either accepting the income, or sum payable by, or sum refundable to, the assessee as per his return or modifying the said income or sum, and send a copy of such order to the National e-assessment Centre;
- (xv) the assessment unit shall, while making draft assessment order, provide details of the penalty proceedings to be initiated therein, if any;
- (xvi) the National e-assessment Centre shall examine the draft assessment order in accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of an automated examination tool, whereupon it may decide to, —
  - (a) finalise the assessment as per the draft assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment; or
  - (b) provide an opportunity to the assessee, in case a modification is proposed, by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the draft assessment order; or
  - (c) assign the draft assessment order to a review unit in any one Regional e-assessment Centre, through an automated allocation system, for conducting review of such order;
- (xvii) the review unit shall conduct review of the draft assessment order, referred to it by the National e-assessment Centre whereupon it may decide to, —
  - (a) concur with the draft assessment order and intimate the National e-assessment Centre about such concurrence; or
  - (b) suggest such modification, as it may deem fit, to the draft assessment order and send its suggestions to the National e-assessment Centre;
- (xviii) the National e-assessment Centre shall, upon receiving concurrence of the review unit, follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the case may be;
- (xix) the National e-assessment Centre shall, upon receiving suggestions for modifications from the review unit, assign the case to an assessment unit, other than the assessment unit which has made the draft assessment order, through an automated allocation system;
- (xx) the assessment unit shall, after considering the modifications suggested by the review unit, send the final draft assessment order to the National e-assessment Centre;
- (xxi) The National e-assessment Centre shall, upon receiving final draft assessment order, follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the case may be;
- (xxii) the assessee may, in a case where show-cause notice under sub-clause (b) of clause (xvi) has been served upon him, furnish his response to the National e-assessment Centre on or before the date and time specified in the notice or within the extended time, if any;
- (xxiii) the National e-assessment Centre shall,-
  - (a) in a case where no response to the show-cause notice is received, finalise the assessment as per the draft assessment order, as per the procedure laid down in sub-clause (a) of clause (xvi); or

- (b) in any other case, send the response received from the assessee to the assessment unit;
- (xxiv) the assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the assessee, make a revised draft assessment order and send it to the National e-assessment Centre;
- (xxv) the National e-assessment Centre shall, upon receiving the revised draft assessment order,—
- (a) in case no modification prejudicial to the interest of the assessee is proposed with reference to the draft assessment order, finalise the assessment as per the procedure laid down in sub-clause (a) of clause (xvi); or
- (b) in case a modification prejudicial to the interest of the assessee is proposed with reference to the draft assessment order, provide an opportunity to the assessee, by serving a notice as per the procedure laid down in sub-clause (b) of clause (xvi);
- (c) the response furnished by the assessee shall be dealt with as per the procedure laid down in clauses (xxii), (xxiii), and (xxiv);
- (xxvi) The National e-assessment Centre shall, after completion of assessment, transfer all the electronic records of the case to the Assessing Officer having jurisdiction over the said case for such action as may be required under the Act;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, in charge of National e-assessment Centre, may at any stage of the assessment, if considered necessary, transfer the case to the Assessing Officer having jurisdiction over such case, with the prior approval of the Board.

**B.** (1) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under the said Scheme before the income-tax authority at the National e-assessment Centre or Regional e-assessment Centre or any unit set up under the said Scheme.

(2) In a case where a modification is proposed in the draft assessment order, and an opportunity is provided to the assessee by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per the such draft assessment order, the assessee or his authorised representative, as the case may be, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the income-tax authority in any unit under the said Scheme.

(3) The Chief Commissioner or the Director General, in charge of the Regional e-assessment Centre, under which the concerned unit is set up, may approve the request for personal hearing referred to in sub-paragraph (2) if he is of the opinion that the request is covered by the circumstances referred to in clause (vib) of Paragraph 12 of the said Scheme.

(3A) Where the request for personal hearing has been approved by the Chief Commissioner or the Director General, in charge of the Regional e-assessment Centre, such hearing shall be conducted exclusively through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony, in accordance with the procedure laid down by the Board.

(3B) Subject to the sub-paragraph (2) of paragraph (8) of the said Scheme, any examination or recording of the statement of the assessee or any other person (other than statement recorded in the course of survey under section 133A of the Act) shall be conducted by an income-tax authority in any unit under the said Scheme, exclusively through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony in accordance with the procedure laid down by the Board.

(4) The Board shall establish suitable facilities for video conferencing including telecommunication application software which supports video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the assessee, or his authorised representative, or any other person referred to in sub-paragraph (2) or sub-paragraph (3B) is not denied the benefit of the said Scheme merely on the consideration that such assessee or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing at his end. ”.

- (3) in clause 2, —
- (i) after the words “arising out of assessments made”, the words “and penalty imposed” shall be inserted; and
- (ii) within quotes, after the words “appeal against an assessment”, the words “order, or penalty order” shall be inserted
- (4) in clause 3, within quotes, for the portion beginning with the words “an electronic record” and ending with the words “said Act”, the following shall be substituted, namely:—
- “an electronic record shall be authenticated by —

- (i) the National e-Assessment Centre by affixing its digital signature; and
- (ii) the assessee or any other person, by affixing his digital signature if he is required under the Rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case by affixing his digital signature or under electronic verification code;

*Explanation.*— For the purpose of this paragraph, “electronic verification code” shall have the same meaning as referred to in rule 12 of the Rules.”

- (5) in clause 4, within quotes, for the portion beginning with the words “The National e-assessment Centre shall levy the penalty” and ending with the words “as the case may be”, the following shall be substituted, namely: —

“The National e-assessment Centre shall levy the penalty as per the said draft order of penalty and serve a copy of the same along with demand notice on the assessee or any other person, as the case may be, and thereafter transfer electronic records of the penalty proceedings to the Assessing Officer having jurisdiction over the said case for such action as may be required under the Act.”

- (6) in clause 5, for item B, the following item shall be substituted, namely: —

“**B.** The Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, in charge of the National e-assessment Centre shall, with the prior approval of the Board, lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the National e-assessment Centre, Regional e-assessment Centres and the unit set-up under the said Scheme, in an automated and mechanised environment, including format, mode, procedure and processes in respect of the following, namely:—

- (i) service of the notice, order or any other communication;
- (ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication;
- (iii) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;
- (iv) provision of “e-proceeding” facility including login account facility, tracking status of assessment, display of relevant details, and facility of download;
- (v) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the assessment proceedings;
- (vi) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner;
- (via) circumstances in which provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the said Scheme shall not apply;
- (vib) circumstances in which personal hearing referred to in sub-paragraph (3) of paragraph (11) of the said Scheme shall be approved;
- (vii) general administration and grievance redressal mechanism in the respective Centres and units.”

- (7) for the word “assesse”, wherever they occur the word “assessee” shall be substituted.

- (8) for the words “this Scheme” or “the Scheme” wherever they occur the words “the said Scheme” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 61/2020/F.No. 370149/154/2019-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.

**Note:** The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O.3265 (E), dated the 12th September, 2019.